परिपत्र संख्या–6790 /कारा0पलायन/2013,

प्रेषक,

विनोद शर्मा, आई0ए0एस0
महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तराखण्ड।

देहरादून : दिनांक–18 जुलाई, 2013

**विषय–कारागारों से बन्दियों के पलायन को रोके जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में।**

महोदय,

प्रदेश की विभिन्न कारागारों में निरूद्ध बन्दियों के पलायन की घटना को रोकने के लिए जेल मैनुअल में प्रख्यापित नियमों, शासनादेशों/परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। पलायन की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्न व्यवस्था सुनिश्चित की जाये :–

(1) कारागारों के अन्दर आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाये। इसके लिए कारागार के अन्दर के साथ–साथ मेनवाल के बाहर भी गश्त निर्धारित की जाये तथा निरन्तर समीक्षा की जाये एवं अचानक निरीक्षण कर कियान्वयन की पुष्टि की जाये।

(2) वाच–टावर्स पर वाकी–टाकी, दूरबीन, एवं शक्तिशाली टार्च से लेस सशस्त्र प्रहरियों की तैनाती की जाये तथा उनके कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु एक अधिकारी को भी उत्तरादायी बनाया जाये।

(3) कुख्यात बन्दियों एवं पूर्व में पलायित बन्दियों पर कड़ी निगरानी रखी जाये। एक गुट के एवं परस्पर विरोधी गुट के बन्दियों को एक साथ बन्द न किया जाये। कुख्यात बन्दियों से सम्बन्धित बैरकों की सुरक्षा के कड़े प्रबन्ध किये जायें।

(4) ऐसे अहाते, बैरकें जो खाली पड़ी हों अथवा जहां निर्माण आदि का कार्य चल रहा हो वहां पर विशेष निगरानी रखी जाये ताकि एकान्त का लाभ उठाकर बन्दी पलायन की योजना न बना सके।

(5) जेल के दोनों मुख्य द्वारों के मध्य सभी आगन्तुकों की सावधानीपूर्वक एवं सघन तलाशी ली जाये तथा दोनों मुख्य द्वारों के मध्य गतिविधियों हेतु अलग से सुरक्षा कर्मी तैनात किये जायें। मुलाकात/अदालत वापसी के समय आकस्मिक चेकिंग कारापाल/उप कारापाल द्वारा की जाये।

(6) बैरकों की लॉकिंग–अनलाकिंग के समय बैरक के प्रभारी अधिकारी मौजूद रहेंगे तथा अपनी उपस्थिति में बन्दियों तथा बैरकों की विधिवत् तलाशी कराकर उन्हें खोले/बन्द किये जाने की कार्यवाही करेंगे।

(7) कारागारों के ऐसे स्थानों/बिन्दुओं की प्रतिदिन चेकिंग करायी जाये जहां से पलायन की संभावना हो।

(8) पलायन में अधिकांशतया प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं यथा–गमछा, चादर, तहमद, रस्सी, खिड़कियों, जंगलों, दीवार में मौजूद गैप, पेड़ों पर विशेष नजर रखी जाये।

(9) कारागारों में रात्रि के समय विशेष सुरक्षा एवं चौकसी रखी जाये तथा रात्रि में प्रकाश की समुचित व्यवस्था रखी जाये।

(10) बैरकों में स्थिति अड़गड़ों की तकनीकी जांच कराकर उन्हें मजबूत बनाया जाये।

(11) यदि कारागार में निर्माण कार्य चल रहा है तो उसे सुरक्षा की दृष्टि से भली–भांति चेक करके कमियों की तत्काल दूर करा दिया जाये ताकि इन कमियों का लाभ उठाकर बन्दी पलायन न कर सके। साथ ही निर्माण के समय विशेष ध्यान दिया जाये कि कोई भी बन्दी निर्माण कार्य के मजदूरों में सम्मिलित होकर पलायन न कर सके।

(12) कारागारों की मेनवाल की बाहरी गश्त भी सुव्यवस्थित करायी जाये। निर्धारित चेकिंग प्वाइन्टस पर स्थिर पर्चियां लगायी जांये, जिसपर प्रत्येक गश्त करने वाला बन्दीरक्षक समय सहित अपना हस्ताक्षर करे। नाइट राउन्ड पर तथा रात्रि ड्यूटी पर तैनात अधिकारी द्वारा इन पर्चियों की चेकिंग की जाये तथा समय अंकित करते हुए हस्ताक्षर किये जायें।

(13) सुरक्षा की दृष्टि से जेल के अन्दर, सर्किलवाल एंव मुख्य प्राचीर के पास स्थित पेड़ों जिनकी शाखाएं मेनवाल तथा सर्किलवाल पर पहुंच गयी हैं, उनकी नियमित छंटाई करायी जाये।

(14) किसी पलायन की घटना घटित होने पर कारागार अधीक्षक द्वारा पलायन की घटना की सूचना तत्काल टेलीफोन/फैक्स/विशेष वाहक के माध्यम से महानिरीक्षक कारागार, जिला मैजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं शासन को तत्काल दी जाये। अधीक्षक द्वारा 72 घण्टे के अन्दर पलायन की घटना की प्रारम्भिक जांच कर जांच रिपोर्ट महानिरीक्षक कारागार, जिला मैजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं शासन को प्रेषित की जाये।

(15) पलायन की घटना से सम्बन्धित इण्डियन प्रिजन्स एक्ट एवं जेल मैनुअल में लिखित प्राविधानों के अनुरूप अपेक्षित कार्यवाही की जाये एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(16) पलायन की घटनाओं पर नियंत्रण रखने हेतु प्रत्येक कारागार पर एक रजिस्टर रखा जाये जिसमें पलायन की तिथि, संक्षिप्त विवरण, पलायित बन्दी का नाम पता, सूचना भेजने की तिथि, प्रारम्भिक, विभागीय एवं मैजिस्टीरियल जांच का निष्कार्ष, पलायित बन्दी के पुनःगिरफ्तार की कार्यवाही, पुनःगिरफ्तार होने की तिथि एवं पुनरीक्षित सुरक्षा व्यवस्था का विवरण अंकित किया जाये।

(17) बन्दियों के पलायन की घटना को रोकने के सम्बन्ध में जेल मैनुअल प्रस्तर–1163, 1008 व 1009 में दिये गये प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यदि भविष्य में किसी भी कारागार से पलायन की घटना होती है तो इसके लिए सम्बन्धित कारागार अधीक्षक/कारापाल/प्रभारी कारापाल जिम्मेदार होंगे।

18.7.2013

(विनोद शर्मा)
महानिरीक्षक कारागार।

15/7/13 15/7/13

परिपत्र संख्या–1789/कारा0सुरक्षा/2013,

प्रेषक,

विनोद शर्मा, आई0ए0एस0
महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तराखण्ड।

देहरादून : दिनांक–18 जुलाई, 2013

**विषय–कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था एवं जेल मैनुअल के प्राविधानों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रबन्धन के लिए जेल मैनुअल में स्पष्ट प्राविधान उपलब्ध हैं तथा शासन/मुख्यालय स्तर से भी समय–समय पर विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। विभिन्न कारागारों में निरूद्ध बन्दियों द्वारा निषिद्ध वस्तुएं प्राप्त कर ली जा रही हैं तथा कालान्तर में मोबाइल फोन का उपयोग भी कारागार में रहते हुए आपराधिक गतिविधियों के संचालन के लिए बन्दियों द्वारा किये जाने की घटनाएं प्रकाश में आयी हैं। कारागारों में निरूद्ध प्रभावशाली बन्दियों द्वारा जेल नियमों का उल्लंघन किये जाने की घटनाएं प्रकाश में आयी हैं तथा इस सम्बन्ध में कड़ी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। कारागारों में निरूद्ध बन्दियों की कारागार के भीतर सुरक्षित रख–रखाव, गतिविधियों में नियंत्रण के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जाये :–

(1) कारागार के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की समय से उपस्थिति कारागार में सुनिश्चित की जाये तथा बन्दियों से जुड़े कार्यों यथा–जेल खुलाई, तालाबन्दी, तलाशी, भोजन वितरण, मुलाकात आदि के समय कारागार बिना किसी चूक के स्वयं उपस्थित रहें तथा उनकी एवं सम्बन्धित उप कारापाल की उपस्थिति में इन कार्यों को सम्पादित कराया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि रात्रि में सोने की व्यवस्था के अतिरिक्त दिन में जेल खुलने से लेकर तालाबन्दी के समय तक कम से कम एक उप कारापाल स्तर का एक अधिकारी कारागार में अवश्य रहे। अधीक्षक द्वारा पाली में काम करने वाले सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अन्य कार्मिकों के लिए उपस्थिति का समय आदेश पुस्तिका के माध्यम से निर्धारित किया जाये। ड्यूटी में विलम्ब से आने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

(2) कारागार में निरूद्ध बन्दियों को प्रत्येक समय का भोजन निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध कराया जाये जिससे उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न न हो तथा वे एकजुट होकर कारागार प्रशासन के विरूद्ध किसी प्रकार के विद्रोह की घटना को कारित न कर सकें। भोजन की व्यवस्था तथा राशन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में जेल मैनुअल प्रस्तर–558, 559, 560, 561, 567, 569 तथा 572 का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

चक्राधिकारी तथा कारापाल अन्न भण्डार से साफ की गयी भोजन सामग्री सही मात्रा में भोजनालय के लिए प्राप्त करने के लिए बन्दियों में से चुने गये पंच तथा पाकशाला के प्रभारी बन्दीरक्षक के साथ–साथ जिम्मेदार होंगे। उनके द्वारा अच्छी गुणवत्ता का भोजन अपनी देख–रेख में तैयार कराकर वितरित किया जाये। निर्धारित मात्रा के अनुसार भोजन वितरण का दायित्व संयुक्त रूप से कारापाल एवं चक्राधिकारी का भी होगा। प्रतिदिन भोजन सामग्री प्राप्त करने, अपनी देखरेख में भोजन तैयार कराने तथा अपनी उपस्थिति में भोजन वितरित करने का उल्लेख चक्राधिकारी एवं कारापाल द्वारा अपनी रिपोर्ट बुक में किया जायेगा। कारागार अधीक्षक प्रतिदिन कम से कम एक बार भोजनालय का निरीक्षण कर भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे। कारागार में भोजन को लेकर किसी प्रकार का कोई असंतोष होता है, इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है अथवा आकस्मिक जांच में कोई कमी पाई जाती है तो चक्राधिकारी तथा कारापाल इसके लिए सीधे उत्तरदायी होंगे।

(3) जेल मैनुअल के अनुसार उपलब्ध सुविधाएं बन्दियों को प्रदान करने से बन्दियों में असंतोष, सामुहिक उपद्रव, आत्महत्या, मारपीट और अनुशासनहीनता जैसी घटनाओं से बचा जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि समय–समय पर बन्दियों की कठिनाइयों की ओर ध्यान दिया जाये एवं उनसे सीधी बातचीत की जाये। इसके लिए आवश्यक है कि उप कारापाल एवं कारापाल नियमित रूप से कारागार की भोजन, सफाई, बन्दयों की चिकित्सा सम्बन्धी समस्याओं की न केवल जानकारी प्राप्त करें बल्कि तत्परता से इन्हें दूर करने का उपाय भी करें। कारागार कर्मियों के कार्य एवं आचरण पर भी नजर रखी जाये। छोटी से छोटी घटना को भी नजरअंदाज न किया जाये जिससे कि वह आगे चलकर गंभीर समस्या का रूप धारण कर सके। कारागार अधीक्षक निर्धारित दिनों को नियमित रूप से बन्दियों की परेड पर उनसे उनकी कठिनाईयों भोजन, मुलाकात, मुकदमों के निस्तारण तथा कारागार कर्मियों के उनके प्रति व्यवहार के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे तथा उनको दूर करने का उपाय करेंगे। किसी भी घटना के होने पर कारागार अधीक्षक भी सीधे इसके लिए जिम्मेदार माने जायेंगे।

(4) कारागारों में निरूद्ध बन्दियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अनावश्यक रूप से जिला चिकित्सालय न भेजा जाये। गंभीर रूप से बीमार बन्दियों को भेजे जाने के लिए पुलिस गार्ड की प्रतीक्षा की जाती है और इससे जिन बन्दियों को वास्तव में उपचार के लिए तत्परता से भेजा जाना चाहिए उन्हें जिला चिकित्सालय नहीं भेजा जाता है। मैजिस्टीरियल जांच में अनेक प्रकरण इस प्रकार के पाये गये हैं जिसमें कारागार द्वारा पुलिस गार्ड की प्रतीक्षा के कारण बन्दी को समय से जिला अस्पताल नहीं भेजा जा सका और उसकी मृत्यु सामयिक उपचार न मिलने के कारण हुई। गम्भीर रूप से बीमार बन्दियों को अस्पताल भेजे जाने के सम्बन्ध में जेल मैनुअल प्रस्तर–1058 की व्यवस्थाओं का अनुपालन किया जाये जिसमें किन दशाओं में पुलिस गार्ड की मांग की जायेगी, इस पर भी स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है।

(5) बन्दियों की मुलाकात में भ्रष्टाचार तथा धन लेकर मुलाकात कराये जाने एवं अनाधिकृत कुलाकात कराये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। मुलाकात व्यवस्था के सम्बन्ध में समय–समय पर शासनादेशों एवं परिपत्रों द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। कारागारों में अनाधिकृत वस्तुओं के प्रवेश की सबसे प्रबल संभावनाएं मुलाकातियों के माध्यम से ही होती हैं। अतः मुलाकात सम्बन्धी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा मुलाकात का दायित्व केवल बन्दीरक्षक तथा उप कारापाल पर ही न छोड़ा जाये

बल्कि मुलाकात कारापाल अपनी उपस्थिति एवं देखरेख में सम्पन्न करायें। मुलाकात के सम्बन्ध में किसी अनियमितता का प्रकरण शिकायतों अथवा आकस्मिक निरीक्षण में पाया जाता है तो इसके लिए प्रभारी मुलाकात एवं कारापाल सीधे उत्तरदायी होंगे।

(6) न्यायालय जाने तथा आने वाले बन्दियों की तलाशी कारापाल द्वारा लिये जाने की व्यवस्था जेल मैनुअल प्रस्तर–446 में प्राविधानित है। कारागारों से बाहर निकलते समय एवं पुनः कारागार में दाखिल करते समय पुलिस स्कोर्ट से सम्बन्धित अधिकारी एवं उप कारापाल द्वारा ऐसे बन्दियों की सघन तलाशी ली जाये और इस आशय का प्रमाण पत्र स्कोर्ट प्रभारी द्वारा गेट–बुक में दर्ज किया जाये जिससे कारागार में प्रतिषिद्ध वस्तुएं कारागार में न पहुंचे तथा इसका दुरूपयोग न हो सके। यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी दशा में निषिद्ध वस्तुएं, मादक पदार्थ अथवा मोबाइल फोन बन्दियों के पास उपलब्ध नहीं होना चाहिए। यदि किसी कारागार पर इनके होने की शिकायत प्राप्त होती है अथवा तलाशी में पायी जाती हैं तो इसके लिए उत्तरदायी कारागार कर्मी के विरूद्ध कठोरतम् कार्यवाही की जायेगी।

(7) कारागार कर्मियों की भी तलाशी कारागार में प्रवेश के समय लिये जाने सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से अनुपालन किया जाये ताकि इनके माध्यम से किसी प्रकार की निषिद्ध वस्तु कारागार में प्रवेश न कर सके।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यदि कारागार सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक होती है तो इसके लिए सम्बन्धित कारागार अधीक्षक/कारापाल/प्रभारी कारापाल जिम्मेदार होंगे।

17.7.2013

(विनोद शर्मा)
महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड।

15/7/13 15/7/13

परिपत्र संख्या–0282/92/मुख्यालय/2014

प्रेषक,

महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तराखण्ड।

देहरादून : दिनांक–10 मार्च 2014

**विषय– प्रत्येक स्तर पर मितव्ययिता का ध्यान रखे जाने तथा अनावश्यक व्यय न किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि कतिपय सरकारी कार्यों में यदा–कदा मितव्ययता की अनदेखी कर अनावश्यक व्यय किये जाने की प्रवृत्ति पर अॅकुश लगाये जाने की आवश्यकता शासन के संज्ञान में आई है।

अतएव उक्त सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि सभी आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर व्ययों में मितव्ययता अपनाकर न्यूनतम आवश्यक व्यय करते हुए अधिकतम लाभ प्राप्त करने की रणनीति बनाते हुए अनावश्यक व्ययों पर पूर्ण अॅकुश लगाया जाना सुनिश्चित करें। उक्त निर्दश का अनुपालन किया जाना तत्काल सुनिश्चित किया जाय।

उक्त सम्बन्ध में पुनः निर्दशित किया जाता है कि अनावश्यक व्यय की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में अधीक्षक एवं कारापाल के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

कृपया परिपत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,

10.3.2014

(विनोद शर्मा)
महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड।

07/3/14

परिपत्र संख्या– 1154 /कारा0सुरक्षा/2014

प्रेषक,

विनोद शर्मा,
महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तराखण्ड।

देहरादून : दिनांक–13 अगस्त, 2014

**विषय– प्रदेश की कारागारो में निरूद्ध खतरनाक किस्म के माफिया व संगठित आपराधिक प्रवृत्ति के बन्दियों के सुरक्षित रख–रखाव एवं उनकी आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बन्दियों में कतिपय बन्दी शातिर किस्म के अभ्यस्त अपराधी भी निरूद्ध हैं तथा कई कारागारों में दो परस्पर विरोधी गुट के बन्दी भी निरूद्ध रहते हैं। इन आपराधिक पृष्ठभूमि के बन्दियों एवं परस्पर विरोधी गुटों के बन्दियों के कारागारों में निरूद्ध होने दृष्टिगत् हाल ही में उप कारागार, रूड़की में एक बन्दी गुट की रिहाई के समय दूसरे बन्दी गुट द्वारा उसके ऊपर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। इस प्रकार की घटना से कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रबन्ध प्रभावित हुए हैं। हालांकि कारागार अधिनियम व जेल मैनुअल में कारागारों के भीतर बन्दियों के सुरक्षित रख–रखाव के सम्बन्ध में समुचित निर्देश विद्यमान हैं लेकिन इन निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाना प्रतीत हो रहा है। कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या–466, दिनांक 29.03.2007, परिपत्र संख्या–1250, दिनांक 04.01.2008, परिपत्र संख्या–484, दिनांक 04.06.2008, परिपत्र संख्या–84, दिनांक 03.02.2010 एवं परिपत्र संख्या–6789, दिनांक 18.07.2013 द्वारा समय–समय पर पूर्व में भी निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

माफिया एवं संगठित आपराधिक गिरोंहों से सम्बन्धित बन्दियों के कारागारों के भीतर सुरक्षित रखरखाव एवं आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु निम्न व्यवस्था सुनिश्चित की जाये :–

(1) जैसे ही उपरोक्त प्रकृति के किसी बन्दी का रिहाई आदेश प्राप्त हो तो उसकी रिहाई की सूचना सम्बन्धित पुलिस थाने/पुलिस चौकी को दी जाये।

(2) कारागार पर परस्पर विरोधी गुटों के बन्दियों के निरूद्ध होने पर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर न्यायालय की अनुमति से जिला मैजिस्ट्रेट के साथ सम्नवय स्थापित करते हुए अन्य कारागार पर स्थानान्तरित किया जाये। यदि व्यवहारिक रूप से ऐसा करना संभव न हो तो कारागार के भीतर उन्हें अलग–अलग स्थानों पर सुरक्षा, निगरानी एवं नियंत्रण की दृष्टि से सबसे उपयुक्त अहाते/बैरक/सेल में निरूद्ध रखा जाये।

(3) आपराधिक पृष्ठभूमि के संवेदनशील बन्दियों की निरूद्ध वाले स्थान पर ऐसे कारागार कर्मियों की तैनाती की जाये जिनकी सामान्य ख्याती अच्छी हो तथा अपने कार्य में दक्ष हों।

(4) उपरोक्त प्रवृत्ति के बन्दियों के निरूद्ध स्थल के प्रभारी के रूप में उप कारापाल को नामित किया जाये।

...2

(5) उपरोक्त प्रवृत्ति के बन्दियों के अहाते के बाहर एक अलग गेट बुक रखी जाये जिसमें उस अहाते के भीतकर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के नाम, आने–जाने का समय, वहां जाने का प्रयोजन आदि का पूर्ण विवरण रखा जायेगा। अहाते के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मी द्वारा अहाते के भीतर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, जिसमे ड्यूटी पर तैनात कारागार कर्मी भी शामिल हैं, की तलाशी ली जायेगी और इसकी प्रविष्टि गेट बुक में सम्बन्धित व्यक्ति के नाम के आगे की जायेगी।

(6) उपरोक्त प्रवृत्ति के बन्दियों की मुलाकात उनके परिजनों, मित्रों एवं विधि व्यवसायियों के साथ मुलाकात सम्बन्धी विधिक प्राविधानों तथा शासन द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत अन्य साधारण बन्दियों से अलग किसी उपयुक्त स्थान पर पूर्ण सावधानी एवं सुरक्षा के साथ करायी जायेगी।

(7) उपरोक्त प्रवृत्ति के बन्दियों से मिलने आने वाले व्यक्तियों पर भी कड़ी नजर रखी जाये तथा उनका नाम, पता, बन्दी से सम्बन्ध एवं मुलाकात का प्रयोजन आदि का पूर्ण विवरण एक पंजिका में रखा जाये। यदि यह संदेह हो कि मुलाकात करने वाले व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति के हैं अथवा बन्दी से मुलाकात करके आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं तो ऐसे मुलाकातियों की जानकारी सम्बन्धित जिला मैजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक को अविलम्ब दी जाये।

(8) कारागारों की लॉकिंग–अनलाकिंग के समय नियमों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

(9) उपरोक्त प्रवृत्ति के बन्दियों को उनके विरूद्ध चल रहे आपराधिक वादों की सुनवाई हेतु अथवा रिमान्ड आदि के सम्बन्ध में कारागारों से बाहर पुलिस अभिरक्षा में भेजा जाता है तो जेल मैनुअल प्रस्तर–446 में दी गयी व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा कारागारों से बाहर निकलते समय व पुनः कारागार में दाखिल करते समय पुलिस स्कोर्ट के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा ऐसे बन्दियों की सघन तलाशी ली जाये व इस आशय का प्रमाण–पत्र स्कोर्ट प्रभारी द्वारा गेट बुक में अंकित की जाये।

(10) यदि पेशी से वापस कारागार में आते समय बन्दियों द्वारा मद्यपान किया गया हो अथवा कोई वस्तु अपने साथ ले जाने का प्रयास किया जा रहा हो तो सघन तलाशी लेकर मुख्य द्वार के बाहर ही ऐसी वस्तुएं उनसे हटा ली जायें तथा इस अनियमितता की जानकारी सम्बन्धित जिला मैजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक को तुरन्त दी जाये।

(11) प्रायः यह भी देखने में आया है कि प्रभावशाली बन्दियों को बिना समुचित आधार के ही कारागार चिकित्सालयों में भर्ती कर लिया जाता है अथवा कारागार के बाहर के चिकित्सालयों में सन्दर्भित कर दिया जाता है। इस प्रवृत्ति पर तत्काल अंकुश लगाया जाये तथा किसी बन्दी को आवश्यक होने पर ही कारागार चिकित्सालय में भर्ती किया जाये तथा कारागार से बाहर के चिकित्सालयों में सर्वथा आपातस्थिति को छोड़कर सम्बन्धित जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पूर्व परीक्षण के बाद ही सन्दर्भित किया जाये।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। सम्बन्धित कारागार अधीक्षक/कारापाल/प्रभारी कारापाल का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।

भवदीय,

13.8.2014

(विनोद शर्मा)
महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

विनोद शर्मा,
महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह/कारागार,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या– 1151/कारा0सुरक्षा/2014, देहरादून : दिनांक–13 अगस्त, 2014

विषय– **कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

प्रदेश की कारागारों में बन्दियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इन बन्दियों में कतिपय बन्दी शातिर किस्म के अभ्यस्त अपराधी भी शामिल रहते हैं जिनके सम्बन्ध में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि यह कारागारों में निरूद्ध रहते हुए भी बाह्य आपराधिक जगत से अपना सम्पर्क बनाये रखते हैं व आपराधिक गतिविधियों के संचालन में भी लिप्त रहते हैं। हाल ही में उप कारागार, रूड़की में बन्दियों की रिहाई के समय दो गुटों में हुई गोलीबारी की घटना से कारागारों की बाह्य सुरक्षा के साथ–साथ कारागारों की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था के साथ–साथ कारागारों में निरूद्ध बन्दियों को सुनवाई हेतु सम्बन्धित न्यायालयों में ले जाने के दौरान उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखे जाने की भी आवश्यकता है।

2– कारागारों में निरूद्ध आपराधिक विचाराधीन बन्दियों की अवांछनीय गतिविधियों की संभावना को समाप्त करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि उनका बाह्य आपराधिक जगत से सम्पर्क बिल्कुल न रहे। इसके लिए जहां एक ओर कारागारों के भीतर प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवं चौकस रहने की आवश्यकता है वहीं दूसरी ओर यह भी आवश्यक है कि विचाराधीन बन्दियों को सम्बन्धित न्यायालयों के समक्ष सुनवाई हेतु पुलिस अभिरक्षा में कारागारों से ले जाने एवं वापस लाने की अवधि में इन विचाराधीन बन्दियों की गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाये जिससे कि वे बाह्य व्यक्तियों द्वारा उनसे सम्पर्क न किया जाये। साथ ही जैसे ही आपराधिक प्रकृति के किसी बन्दी को कारागार में निरूद्ध किया जाता है तो उसके सम्बन्ध में समुचित विवरण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित कारागार अधीक्षक को उपलब्ध कराया जाये ताकि कारागार प्रशासन को यह स्पष्ट रहे कि अमुक बन्दी संवेदनशील प्रकृति का है।

3– उल्लेखनीय है कि विचाराधीन बन्दी सम्बन्धित न्यायालय की अभिरक्षा में कारागार में निरूद्ध रहता है और बाह्य व्यक्तियों अथवा उनके परिजनों द्वारा उनसे मिलने की व्यवस्था जेल नियमों में की गयी है, जिसके अनुसार केवल कारागारों के भीतर ही कारगाार के अधिकारियों की पूर्व अनुमति प्राप्त करके ही खाने–पीने की सामग्री, वस्त्र एवं अन्य अनुमन्य वस्तुएं जेल मैनुअल प्रस्तर–432 सपठित प्रस्तर–1117 के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जा सकती है।

उक्त के सम्बन्ध में अनुरोध है कि प्रदेश के समस्त जिला मैजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को कृपया अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

13.8.2014

(विनोद शर्मा)
महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

विनोद शर्मा,
महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड।

संख्या– 1152 /कारा0सुरक्षा/2014,

देहरादून : दिनांक–13 अगस्त, 2014

**विषय–कारागारों की बाहरी सुरक्षा हेतु कारागारों पर पी0ए0सी0 की तैनाती के सम्बन्ध में।**

महोदय,

प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बन्दियों में कतिपय बन्दी शातिर किस्म के अभ्यस्त अपराधी भी निरूद्ध हैं तथा कई कारागारों में दो परस्पर विरोधी गुट के बन्दी भी निरूद्ध रहते हैं। इन आपराधिक पृष्ठभूमि के बन्दियों एवं परस्पर विरोधी गुटों के बन्दियों के कारागारों में निरूद्ध होने दृष्टिगत् हाल ही में उप कारागार, रूड़की में एक बन्दी गुट की रिहाई के समय दूसरे बन्दी गुट द्वारा उसके ऊपर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया।

उक्त घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के दृष्टिगत् कारागार की बाहरी सुरक्षा हेतु प्रत्येक कारागार पर पी0ए0सी0 की समुचित तैनाती आवश्यक है तथा जिन कारागारों पर पी0ए0सी0 तैनात है उसकी समीक्षा कर जनशक्ति में बढ़ोत्तरी किया जाना आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि कारगाारों की बाहरी सुरक्षा हेतु राज्य की प्रत्येक कारागार पर पी0ए0सी0 की समुचित तैनाती करने का कष्ट करें।

भवदीय,

13.8.2014

(विनोद शर्मा)
महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

विनोद शर्मा,
महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड।

संख्या– 1153 / कारा0सुरक्षा / 2014, देहरादून : दिनांक– 13 अगस्त, 2014

**विषय– कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत् मुलाकात के समय कारागारों में अभिसूचना ईकाई की तैनाती के सम्बन्ध में।**

महोदय,

प्रदेश की कारागारों में बन्दियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इन बन्दियों में कतिपय बन्दी शातिर किस्म के अभ्यस्त अपराधी भी शामिल रहते हैं जिनके कारागारों में निरूद्ध रहते हुए भी बाह्य आपराधिक जगत से अपना सम्पर्क बनाये रखने की बाते भी समय–समय पर प्रकाश में आती हैं। कारागारों में निरूद्ध अधिक संख्या में बन्दियों से मिलने वाले उनके परिजनों अथवा बाह्य व्यक्तियों में से शातिर एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों की पहचान होना कठिन होता है। इसके लिए कारागारों पर कोई फीडबैक अथवा विशेषज्ञ स्टाफ न होने के कारण मुलाकात के समय ऐसे व्यक्तियों की पहचान एवं उनपर निगरानी रखना कठिन हो जाता है।

अतः अनुरोध है कि कारगाारों में प्रतिदिन होने वाली मुलाकात के समय अभिसूचना ईकाई की तैनाती कारागार परिसर में किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि मुलाकात हेतु आने वाले व्यक्तियों में शातिर एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों पर निगरानी रखी जा सके।

भवदीय,

13.8.2014

(विनोद शर्मा)
महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड।